न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उनियारा जिला टोंक
राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार अटल सेवा केन्द्र ग्राम पं0 कुण्डेर
(श्री सुभाष चन्द शर्मा,आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी उनियारा द्वारा अध्यासित)

दावा संख्या :– 84/2016
निर्णय दिनांकः– 23.6.2016

उनवान

किशनलाल पुत्र श्योनाथ जाति गुर्जर निवासी कुण्डेर तहसील उनियारा जिला टोंक – वादी

बनाम

1राजस्थान सरकार जरिये जिला कलेक्टर टोंक
2.तहसीलदार तहसील उनियारा जिला टोंक राज0

–प्रतिवादीगण

दावा बाबत उद्‌घोषणा, दु0 इन्द्राज व स्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थितः– श्री के0एल0 ठाडा, वकील वादी
पेरोकार राज नायब तहसीलदार बनेठा

निर्णय

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद के तथ्य संक्षिप्त मे निम्न प्रकार हैः–

यह कि वादी के स्वामित्व व आधिपत्य की आवंटनशुदा आराजीयात ख0न0 725 रकबा 2.21 है0 मे से 0.50 है0, ख0न0 728 रकबा 0.58 है0 सम्पूर्ण, ख0न0 729 रकवा 3.89 है0 मे से 3.50 है0 वाके ग्राम कुण्डेर तहसील उनियारा जिला टोंक मे स्थित है। उक्त वर्णित आराजीयात के साबिका ख0न0 819 /1/1/1 मे से रकबा 18 बीघा 8 बिस्वा जमीन वादी को दिनांक 4.2.83 को भू आवंटन सलाहाकार केम्प कुण्डेर द्वारा आवंटन की गई थी, जिसकी सम्पूर्ण आवंटन राशि भी वादी द्वारा जमा करवा दी गई थी। जिस पर वादी का आवंटन के समय से लगातार बिना किसी बाधा के कब्जा काश्त चला आ रहा है। हाल ख0न0 725, 728, 729 साबिक ख0न0 819 /1/1/1 से बने है। वादी द्वारा बरवक्त आवंटन ही सम्पूर्ण आवंटन राशि जमा करवा दी थी तथा वादग्रस्त आराजी पर काबिज करवा दिया था, परन्तु उक्त आवंटन आज तक वादी के नाम अमल नही हुआ और ना ही उसे आवंटित भूमि पर आज तक खातेदारी दी गई। उक्त आराजी पर वादी का आवंटन के समय से कब्जा काश्त चला आ रहा है, परन्तु उक्त आराजी वादी के नाम खातेदारी मे दर्ज नही कर राजस्व रेकार्ड मे सिवायचक चली आ रही है। जिससे प्रतिवादीगण के मातहत कर्मचारी वादग्रस्त आराजी पर से वादी को बेदखल करने पर आमादा है। जिसका उन्हे कोई हक व अधिकार नही है।

यह कि वादी की अधियाचना है कि वाद पत्र बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण डिक्री फरमाया जावे। आराजीयात ख0न0 725 रकबा 2.21 है0 मे से 0.50 है0, ख0न0 728 रकवा 0.58 है0 सम्पूर्ण, ख0न0 729 रकबा 3.89 है0 मे से 3.50 है0 वाके ग्राम कुण्डेर तहसील उनियारा जिला टोंक का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे तथा इसी अनुरूप राजस्व रेकार्ड दुरूस्त किया जावे। प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे कि वे उक्त आराजीयात पर से वादी के कब्जे काश्त मे बाधा नही डाले और ना ही बेदखल करे।

उप खण्ड अधिकारी
उनियारा

Scanned by CamScanner

प्रकरण पेश होने पर उभय पक्षों को राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार अटल सेवा केन्द्र ग्राम पंचायत कुण्डेर हेतु नोटिस जारी होने के बाद पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत मे सुनवाई हेतु प्रस्तुत हुई। वादी मय वकील उपस्थित। पेशकार सरकार नायब तहसीलदार बनेठा उपस्थित। नायब तहसीलदार बनेठा से जवाब लिया गया। उभय पक्षों को सुना गया।

हमने पत्रावली एवं उस पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। नकल आवंटन आदेश दिनांक 4.2.83 के अनुसार भू आवंटन सलाहकार समिति कैम्प कुण्डेर दिनांक 4.2.83 को किशनलाल पुत्र श्योनाथ निवासी कुण्डेर को आराजी ख0न0 819/1/1/1 मे 18 बीघा 8 बिस्वा आवंटन की गई है। भू प्रबन्ध विभाग नकल मिलान क्षैत्रफल के अनुसार उक्त साबिक आराजी के निम्न प्रकार नवीन खसरा नम्बर कायम हुये हैः–

साबिक		हाल	
खसरा नम्बर	रकबा	खसरा नम्बर	रकबा
819/1/1/1मि0	2 बीघा	725	2.21
819/1/1/1	6 बीघा	727	0.35
819/1/1/1मि0	6 बीघा	728	0.58
819/1/1/1मि0	6 बीघा	729	3.89
819/1/1/1मि0	6 बीघा	730	0.29

नकल जमाबन्दी सम्वत 2047 – 2050 वाके ग्राम कुण्डेर मे आराजी ख0न0 725 रकबा 2.21, 728 रकबा 0.58, 729 रकबा 3.89 राजकीय भूमि काबिल काश्त दर्ज है। पत्रावली पर उपलब्ध असल रसीदात के अनुसार भी वादी ने सीलिंग आवंटन कीमत भूमि की राशि जमा करवाई है। तहसील राजस्व लेखाकार की रिपोर्ट के अनुसार भी प्रकरण मे समस्त राशि राजकोष मे जमा हो चुकी है। पेशकार सरकार ने भी अपने जवाब दावे मे अंकित किया है कि प्रकरण मे 14 (4) की कार्यवाही जैरकार नही है। आवंटनशुदा भूमि को गेरखातेदारी मे दर्ज करने की अभिशंषा की गई है।

उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट हैं कि वादग्रस्त भूमि वादी की आवंटित भूमि है तथा वादी के द्वारा कीमत भूमि की राशि भी राजकोष मे जमा करवाई गई है। वादग्रस्त भूमि राजस्व रेकार्ड मे सिवायचक काबिल काश्त दर्ज है। पेशकार सरकार द्वारा वादग्रस्त आराजीयात को वादी के गैरखातेदारी मे दर्ज किये जाने की अभिशंषा की गई है। इस प्रकार वादी वादग्रस्त आराजीयात को गेरखातेदार के रूप मे राजस्व रेकार्ड मे दर्ज कराने का अधिकारी है।

अतः राजस्व लोक अदालत न्यायालय आपके द्वार की भावना के मध्यनजर रखते हुये वादी के वाद को डिकी किया जाकर वादी को आराजी ख0न0 725 रकबा 2.21 है0 मे से 0.50, ख0न0 728 रकबा 0.58 सम्पूर्ण व ख0न0 729 मे रकबा 3.89 है0 मे से 3.50 है0 वाके ग्राम कुण्डेर तहसील उनियारा का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार उनियारा को इसी अनुरूप राजस्व रेकार्ड में अंकन करने के आदेश दिये जाते है। पर्चा डिकी जारी हो। फरीकेन खर्च अपना अपना वहन करे।

यह निर्णय आज दिनांक 23.6.2016 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

उप खण्ड अधिकारी
सुभाषचन्द शर्मा
उनियारा
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी उनियारा

D:\Files\Rajsw\Faisla 1.docx 137

Scanned by CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उनियारा जिला टोंक
राजस्व लोक अदालत अटल सेवा केन्द्र ग्राम पंचायत कुण्डेर
(डिक्री मुकदमा इब्तदाई)

उनवान

किशनलाल पुत्र श्योनाथ जाति गुर्जर निवासी कुण्डेर तहसील उनियारा जिला टोंक

– वादी

बनाम

1राजस्थान सरकार जरिये जिला कलेक्टर टोंक
2.तहसीलदार तहसील उनियारा जिला टोंक राज0

–प्रतिवादीगण

दावा बाबत उद्‌घोषणा, दु0 इन्द्राज व स्थायी निषेधाज्ञा

मुकदमा नम्बर :– 84 वर्ष 2016

वादी की ओर से श्री के0एल0 ठाडा वकील वादी व प्रतिवादीगण की ओर से पेरोकार सरकार नायब तहसीलदार बनेठा की उपस्थिति मे इस वाद मे आज तारीख 23.6.2016 को श्री सुभाषचन्द शर्मा, आर0ए0एस0 उपखण्ड अधिकारी उनियारा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि वादी को आराजी ख0न0 725 रकबा 2.21 है0 मे से 0.50, ख0न0 728 रकबा 0.58 सम्पूर्ण व ख0न0 729 मे रकबा 3.89 है0 मे से 3.50 है0 वाके ग्राम कुण्डेर तहसील उनियारा का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार उनियारा को इसी अनुरूप राजस्व रेकार्ड में अंकन करने के आदेश दिये जाते है। फरीकेन खर्च अपना अपना वहन करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 23 माह 06 सन् 2016 को जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी
उनियारा जिला टोंक

Scanned by CamScanner